


RBE No.118/2019



PCPO's SI.No.147/2019

No. E/205(A)/O/ECR/HJP

Dated:- 08.08.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : तात्कालिक सेवाओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करना।

संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/I Part-1 Dated: 24.07.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/ ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*\*

सं. ई(एनजी)-11/2007/आरसी-4/कोर/1 पार्ट.1

आरबीई नं. 118/2019  
नई दिल्ली, दिनांक: 24/07/2019

महाप्रबंधक (पी),

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: तात्कालिक सेवाओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करना।

- संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 27.09.2012 का पत्र सं. ई(एनजी)/2010/आरसी-4/6  
(आरबीई नं. 109/2012)
- ii) बोर्ड के दिनांक 16.10.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)11/2007/आरसी-4/कोर/1, दिनांक  
12.12.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)11/2007/आरसी-4/कोर/1 और दिनांक 27.03.2019  
का पत्र सं. ई(एनजी)11/2007/आरसी-4/कोर/1

\*\*\*\*\*

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है। रेलें/उत्पादन इकाइयों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रों में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, जिन्हें संविदात्मक रूप से नियुक्त किया गया है, को छुट्टी प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है। यह देखा गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 30.11.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12034/11/2018-एडमिन.1 के तहत परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसमें संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को वर्ष में 08 दिन की छुट्टी का उल्लेख किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्वोक्त पत्रों के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में इसे अपनाने का विनिश्चय किया गया है।

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के पूर्वोक्त पत्रों के अनुसार संविदात्मक व्यवस्था पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 08 दिनों की छुट्टी (यथानुपात आधार पर) अनुमेय होगी।

4. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

महामहोदय

(एम. एम. राय)

संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)-11

रेलवे बोर्ड

रेल मंत्रालय  
Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड  
Railway Board  
अनुलग्नक सहित जारी  
Issue with Enclosure  
हस्ताक्षर  
Signature  
जारी की तिथि  
Date of Issue